Palika Bhawan, Near 6 no Bus Stop, Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755- 2573832 Fax 0755-2552016
Website: www.mpurban.gov.in

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

क्रमांक / यु.स्वा.यो / 2019 / 5962 भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2019

/ /कार्यवाही विवरण/ /

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना अंतर्गत युवाओं को दिये जाने वाले स्टाइपेन्ड के संबंध में दिनांक 03.04.2019 को प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में अपरान्ह 2:30 बजे उनके प्रति कक्ष में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
2. अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
3. श्री अरूण पालीवाल, संयुक्त संचालक वित्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
4. श्री परमेश जलोटे, उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास
5. श्री गौरव वर्मा, तकनीकी विशेषज्ञ एवं प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक भोपाल
6. श्री विनय पाण्डेय, सहायक संचालक, मैप आईटी, भोपाल
7. श्री इन्द्र बिसेन, प्रमुख सलाहकार, मैप आईटी, भोपाल
8. श्री अंकुर दिक्षित, डेवलपर, मैप आईटी, भोपाल
9. श्री अभिषेक तिवारी, नोडल अधिकारी MMKSY, कौशल विकास विभाग
10. श्री आसिम खान, एमआईएस युवा स्वाभिमान योजना, नगरीय प्रशासन एवं विकास

बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजनान्तर्गत पात्र युवाओं को स्टाइपेन्ड **का प्रथम भुगतान दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है:–**

1. सर्वप्रथम मेप आईटी टीम द्वारा युवाओं को दिये जाने वाले स्टाइपेन्ड की प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं अवगत कराया गया कि स्टाइपेन्ड की प्रक्रिया के लिये सर्वप्रथम प्रधिकृत अधिकारी (नगर निगम के लिये आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अपर आयुक्त अथवा उपायुक्त एवं नगर परिषद् एवं नगर पालिका के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगें) के डिजिटल हस्ताक्षर मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के पोर्टल पर अप्लोड किये जाएगे एंव राज्य कार्यालय द्वारा पोर्टल के माध्यम से अप्लोड किये गये डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित किया जायेगा।
2. हस्ताक्षर अप्लोड करने का कार्य नोडल अधिकारी द्वारा अपने लॉग–इन से पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा यह प्रक्रिया केवल एक बार की जायेगी। हस्ताक्षर की वैधता समाप्त होने की स्थिति में उसे पुनः अपलोड करने की सुविधा होगी।
3. उक्त निर्देशो के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त नगरीय निकायो को निर्देशित किया जाये कि योजनांर्तगत प्रधिकृत अधिकारियो के डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक 04.04.2019 तक युवा स्वाभिमान पोर्टल पर अप्लोड करे एवं इसकी समीक्षा विभागीय वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में की जाये।
4. चूंकि ई–नगर पालिका सॉफ्टवेयर में पूर्व से ही समस्त नगरीय निकायो के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है। अतः युवा

स्वाभिमान योजना अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन ई–नगर पालिका की टीम द्वारा किया जायेगा।

5. बैठक में मेप आईटी टीम द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टाइपेन्ड का भुगतान आधार आधारित प्रक्रिया (अर्थात जिस अकाउंट से आधार लिंक होगा) द्वारा युवा के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा एवं यह भी अवगत कराया गया कि लगभग 20 प्रतिशत युवाओं के बैंक अकाउंट आधार से लिंक नही है।
6. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन द्वारा मेप आईटी टीम को निर्देशित किया गया कि ऐसे समस्त युवाओं की सूची निकायवार युवा स्वाभिमान पोर्टल पर प्रदर्शित की जाये जिनके आधार बैंक अकाउंट से लिंक नही है एवं एसएमएस के माध्यम से भी ऐसे युवाओ को अपने आधार बैंक अकाउंट से लिंक करवाने हेतु सूचित किया जाये।
7. समस्त नगरीय निकायो को निर्देशित किया जाये की योजनांतर्गत समस्त पात्र हितग्राही अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक कराने की प्रक्रिया को शीर्घ पूर्ण करे।
8. यदि किसी स्थिति में स्टाइपेन्ड के भुगतान की प्रक्रिया से पूर्व समस्त युवाओं के बैंक अकाउन्ट आधार से लिंक नहीं हो पाने की दिशा में ऐसे शेष युवाओं के बैंक अकाउन्ट की जानकारी निकाय स्तर पर नोडल द्वारा उसके लॉगइन से पोर्टल पर दर्ज की जाये एवं मैप आईटी टीम को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर ओ.टी.पी. सत्यापन के माध्यम से बैंक अकाउन्ट दर्ज करने का प्रावधान बनाया जाये।
9. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रक्रिया केवल प्रथम चरण में स्टाइपेन्ड हेतु शेष पात्र हितग्राहियों को राशि का हस्तातरंण करने हेतु की जायेगी एवं द्वितीय चरण से स्टाइपेन्ड हस्तातरंण की प्रक्रिया आधार आधारित ही रहेगी। अतः समस्त नगरीय निकाय समय–सीमा में समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार बैंक अकाउन्ट से लिंक कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त के अनुक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि पात्र युवाओ के आधार से लिंक बैंक खातो के क्रियान्वयन की पुष्टि उनके बैंक खाते में मात्र 1 रूपये हस्तांतरित कर की जा सकती है।
11. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया कि स्टाइपेन्ड के हस्तांतरण के पूर्व समस्त पात्र हितग्राहियों के बैंक अकाउंट में मात्र 1 रूपये हस्तांतरित कर खाते के क्रियान्वयन की पुष्टि कर ली जाये एवं बाद में स्टाइपेन्ड की राशि में से उक्त राशि का समायोजन कर लिया जाये।
12. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को इस बात का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया कि राशि 1 रूपये के हस्तांतरण का कोई एसएमएस हितग्राही के मोबाईल पर न प्रेषित किया जाये अथवा एसएमएस का प्रारूप ऐसा हो कि जिससे साफ प्रदर्शित हो कि यह एक टेस्ट एसएमएस है।
13. बैठक में मैप आईटी टीम द्वारा स्टाइपेन्ड की गणना हेतु युवा की निकाय एवं प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया।
14. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रथम स्टाइपेन्ड 40 दिवस हेतु प्रदाय किया जायेगा जिसमें [10 कार्य दिवस निकाय स्तरीय ऑन जॉब उन्मुखीकरण प्रशिक्षण + 30 कार्य दिवस (चार घण्टे निकाय स्तरीय + चार घण्टे कौशल प्रशिक्षण)]
15. **स्टाइपेन्ड हेतु पात्रता** – यदि युवा की कौशल प्रशिक्षण केन्द्र पर 70 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज है एवं निकाय स्तर पर 33 प्रतिशत है तो ऐसी स्थिति में वे स्टाइपेन्ड हेतु पात्र है। यदि

Palika Bhawan, Near 6 no Bus Stop, Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755- 2573832 Fax 0755-2552016
Website: www.mpurban.gov.in

युवा की उपस्थिति निकाय पर कुल कार्य दिवसों की 100 प्रतिशत है एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति 70 प्रतिशत है तो वह पूर्ण स्टाइपेन्ड के लिए पात्र होंगे। अन्यथा निकाय स्तरीय उपस्थिति के समानुपातिक मान से स्टाइपेन्ड की गणना की जायेगी।

16. यदि किसी माह में न्यूनतम उपस्थिति युवा द्वारा नहीं प्रदाय की गई है तो आगामी माह में Cumulative आधार पर पात्रता का आकंलन किया जायेगा एवं पात्रतानुसार स्टाइपेन्ड जारी किया जायेगा।
17. बैठक में मैप आईटी टीम द्वारा अवगत कराया गया कि विगत माह में आधार सर्वर डाउन टाईम शेड्यूल होने के कारण युवाओं की कुछ दिनों की उपस्थिति युवा स्वाभिमान पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा सकीं है। इसके लिए निकाय स्तर पर मैप आईटी द्वारा ऑफलाइन उपस्थिति का प्रावधान बनाया गया है।
18. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि आधार सर्वर डाउन टाईम के कुल दिनों की सूचना लिखित में विभाग को सूचित की जाये। जिसके आधार पर समस्त निकायों को युवाओं की ऑफलाइन उपस्थिति हेतु निर्देशित किया जा सकें।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

(एस.के.सिंह)
अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / यु.स्वा.यो / 2019 / 5963 **भोपाल, दिनांक 05 / 04 / 2019**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आईटी, स्टेट डाटा सेन्टर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक / अपर संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
9. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।
10. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ।

अपर आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल